न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः— श्री परशुराम धानका आर.ए.एस.

अपील संख्याः— 4/2022 (GCMS No. 2022/4) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. श्रीलाल पुत्र छोटे जाति तेली निवासी ससेडी तहसील व जिला करौली।

.....अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार करौली।

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट विरूद्ध आदेश दिनांक 30.06.2004 न्यायालय जिला कलक्टर करौली प्रकरण संख्या 37/03 उनवानी सरकार बनाम छोटे।

उपस्थितिः—

1. अपीलांट की ओर से श्री पंकज कुमार, वकील
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय पैरोकार श्री निरंजन सिंह वकील

नि र्ण य **दिनांक : 11.10.2023**

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत आदेश जिला कलक्टर करौली के आदेश दिनांक 30.06.2014 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलांट के पिता स्व. छोटे को राज्य सरकार द्वारा दिनांक 20.10.1975 को आराजी खसरा नम्बर 231/3 रकवा 5 बीघा का आवंटन किया गया जिसका अमल जमाबंदी पर स्व. छोटे गैर खातेदार के रूप में दर्ज हो गये। स्व. छोटे का दिनांक 25.04.2004 को देहान्त होने के बाद विरासत के आधार पर अपीलांट विवादित आराजी के खातेदार दर्ज हो गये। आवंटन आदेश के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र 14(4) सरकार बनाम छोटे न्यायालय जिला कलक्टर करौली में प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने मूल आवंटी को सुनवाई का कोई मौका दिये बिना स्व. छोटे के वारिसान को पक्षकार बनाये मृतक व्यक्ति के खिलाफ अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.06.2014 को पारित कर दिया गया। जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरवी हेतु श्री निरंजन सिंह, राजकीय अभिभाषक हाजिर अदालत आये।
3. उभयपक्ष के अभिभाषकगण को अपील पर सुना गया।
4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपने अपील मीमो एवं प्रार्थना पत्र में दफा 5 मियाद अधिनियम में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात की ओर ध्यान दिलाते हुये दलील दी कि हमने न्यायालय जिला कलक्टर करौली के आदेश/निर्णय दिनांक 30.06.2004 के विरूद्ध यह अपील पेश की है। तहसीलदार करौली द्वारा हमारे पिता के खिलाफ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) एल.आर.एक्ट सरकार बनाम छोटे प्रकरण संख्या 37/03 न्यायालय जिला कलक्टर करौली के यहां पेश किया था। हमारे पिता स्व. छोटे को दिनांक 20.10.1975 को आराजी खसरा नम्बर 231/3 रकवा 5 बीघा का आवंटन किया गया था जिसका अमल स्व. छोटू का राजस्व रिकोर्ड में गैर खातेदारी के रूप में हुआ था और दिनांक 25.04.2004 को छोटू की मृत्यु के बाद विरासत के आधार पर अपीलांट खातेदार दर्ज होकर वर्तमान में भी खातेदार दर्ज हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने मूल आवंटी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया और स्व. छोटू की मृत्यु दिनांक 25.04.2004 को होने के बाद स्व. छोटू के वारिस अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना दिनांक 30.06.2004 को मृत व्यक्ति के खिलाफ निर्णय पारित किया व आवंटन आदेश दिनांक 20.10.1975 को खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश देने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया और अपीलांट के पिता स्व. छोटू को जो नोटिस जारी हुए वह अपीलांट के पिता पर तामील ना होकर किसी अन्य व्यक्ति ने प्राप्त किये और गांव की पार्टीबाजी के आधार पर उन्हीं लोगों ने अपीलांट के पिता की तरफ से हाजिरी दर्ज करा दी जबकि अपीलांट के पिता पर न तो कोई सम्मन तामील हुआ और न ही अपीलांट का पिता छोटू अधीनस्थ न्यायालय में हाजिर हुआ। आवंटन के बद पहले आवंटी स्व. छोटू और उसकी मृत्यु के बाद आदिनांक तक अपीलांट मौके पर काश्त कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा नियमों में संशोधन कर आवंटी द्वारा काश्त किये जाने की शर्त को हटा दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा रिकार्ड व बहस सुनकर निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 30.06.2004 का आदिनांक तक अमल नहीं हुआ है क्योंकि मौके पर पहले हमारे पिता स्व. छोटू व उसके बाद अपीलांट द्वारा आदिनांक तक काश्त की जा रही है और स्व. छोटू की मृत्यु के बाद इसी आराजी पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 530 दिनांक 20.04.2011 अपीलांट के पक्ष में मंजूर हुआ था। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय मृत व्यक्ति के खिलाफ पारित हुआ है जो विधिविरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। इस संबंध में

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत यथा आरआरटी 2012 (1) पेज 189, आरबीजे 1999 पेज 221 (एस.सी.), आरआरडी 1989 पेज 667, एआईआर 1964 मैसूर पेज 293 उद्धत करते हुये कथन किया कि मृत व्यक्ति के विरूद्ध अपील शून्य प्रभावी है व खारिज होने योग्य होती है। वकील अपीलांट ने यह भी दलील दी कि " After deletion of condition of cultivating land, allotment cannot Be cancelled on this ground " और इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत 2022–23 (Supp.) आरआरटी पेज 112 भी उद्धत किया तथा साथ ही यह भी दलील दी कि आवंटन को निरस्त कराने हेतु कार्यवाही बहुत लम्बे समय बाद की गई है और इतनी अवधि बाद कार्यवाही वैध नहीं है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत आरबीजे 2018 पेज 436, आरबीजे 2017 पेज 536 (एससी), आरबीजे 2020 पेज 648 एवं आरबीजे 2017 पेज 31 उद्धत किये। अतः अपील स्वीकार फरमायी जावे और अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 30.06.2004 खारिज फरमाया जावे।

5. विद्वान पैरोकार ने दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा दी गई दलीलों का विरोध करते हुये तर्क दिया कि अपील मियाद बाहर पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय में तामील सही हुई है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश बिल्कुल सही है। अपीलांट व उसके पिता विवादित आराजी पर काश्त नहीं की गई थी जिससे उनका आवंटन निरस्त किया गया। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जावे।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा उनके द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का भी ससम्मान अवलोकन किया और मार्गदर्शन प्राप्त किया। अपीलांट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र का अवलोकन करने पर पाया कि आदेश दिनांक 30.06.2004 एकतरफा में पारित हुआ था जिसकी जानकारी प्रार्थी को नहीं थी और इस आज्ञा का आज दिनांक तक अमल भी नहीं हुआ है। दिनांक 30.12.2021 को जब प्रार्थी पटवारी से खातेदारी कराने के लिये मिला तब उसे आज्ञा दिनांक 30.06.2004 की जानकारी हुई। प्रार्थी ने जानकारी होने पर अबिलंव अपील प्रस्तुत की और इस संबंध में शपथ पत्र भी पेश किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से भी स्पष्ट होता है कि आज्ञा दिनांक 30.06.2004 एकतरफा में पारित हुई थी और ऐसे में अपीलांट को इसकी जानकारी का अभाव रहा होगा, क्योंकि इस आज्ञा का अमल भी नहीं हुआ था। इस प्रकार अपीलांट के कथन पर अविश्वास करने को कोई कारण ही नहीं है। इसके अलावा माननीय उच्च्तम न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में उदार दृष्टिकोण अपनाये जाने का मत प्रतिपादित किया है ताकि कोई भी पक्ष अनसुना नहीं रहे और निर्णय उभयपक्ष की सुनवाई उपरांत गुणावगुण के आधार पर पारित

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

हो। ऐसे में अपीलांट के तर्कों से सहमत होते हुये अपील पेश करने में हुई बिलंब अवधि को कनडोन किया जाता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि अपीलांट के पिता छोटे पुत्र बुधू तेली को दिनांक 20.10.1975 को आराजी खसरा नम्बर 231/2 रकवा 5 बीघा वांके ग्राम ससेडी तहसील करौली में आवंटित हुई थी और इसके आधार पर आवंटी राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार के रूप में दर्ज हुआ था और तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरियात में भूमि को बारानी–तृतीय एवं बंजड दिखया गया है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) एल.आर.एक्ट के निर्णय दिनांक 30.06.2004 से पूर्व अप्रार्थी छोटे पुत्र बुधू की मृत्यु दिनांक 20.05.2004 को ही होना पायी जाती है जिससे यह बखूबी स्पष्ट है कि न्यायालय जिला कलक्टर करौली का निर्णय मृत व्यक्ति के खिलाफ पारित हुआ है। साथ ही तामील के अवलोकन से भी स्पष्ट होता है कि तामील पर मंगल नामक व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं और मंगल से अप्रार्थी छोटे का क्या रिश्ता है ये स्पष्ट नहीं हैं जिससे स्पष्ट होता है कि तामील अप्रार्थी छोटे पर न होकर किसी अन्य व्यक्ति को हुई है जिससे तामील को प्रोपर नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा यह भी स्पष्ट है कि विवादित आराजी का आवंटन होने के 28 वर्ष बाद तहसीलदार द्वारा यह कार्यवाही प्रस्तुत की गई। ऐसे में इतने लंबे अंतराल के बाद अपीलांट के पिता को खातेदारी दिये जाने के स्थान पर 14(4) एल.आर.एक्ट की कार्यवाही की गई जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। विवादित भूमि पर छोटे की मृत्यु के बाद उसके वारिस अपीलांट श्रीलाल के नाम नामांतरकरण प्रामाणित है और यह कार्यवाही भी राजस्व कर्मियों द्वारा ही वर्ष 2011 में निष्पादित करवायी गई है। हम विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा दी गई दलीलों से पूर्णतया सहमत हैं तथा उनके द्वारा उद्धत माननीय न्यायायल के दृष्टांत मौजूदा प्रकरण पर चस्पा होते है। ऐसे में अप्रार्थी की तामील सही नहीं होने तथा आज्ञा मृत व्यक्ति के खिलाफ होने से यह आज्ञा शून्य प्रभावी मानी जावेगी। अतः उपरोक्त विवेचन के मध्येनजर अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।

7. फलस्वरूप अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 30.06.2004 को अपास्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 11.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर